

KENDRIYA VIDYALAYA ALIGARH

Some Important Instructions to be followed for applying in Online Registration for admission in class-1

1-Please check and confirm your **Priority /Service category** (before online registration of your ward) from your serving departments. As per KVS Admission guideline 2023-24, following five Priorities service categories have been described for KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER CIVIL/DEFENCE SECTOR(i.e Kendriya Vidyalaya ALIGARH).

Priority Category-1- Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.

Priority Category -2. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.

Priority Category -3. Children of transferable and non-transferable State Government employees.

Priority Category -4. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.

Priority Category -5. Children from any other category including the children of Foreign Nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no Children of Indian Nationals waitlisted for admission

If you enter wrong service category during online registration, your application may be rejected.

2-Get the OBC-NCL Certificate issued in Name of child.

This Certificate should have been issued after 31/03/2020.

3-SC/ST certificate in Name of child is required ,if applicable

4.EWS/BPL Certificate if applicable, must be issued after 30/09/2022. (Income certificate will not be accepted for EWS/BPL category)

5.For RTE students Residential address to be filled during online registration should be within five-kilometre from K.V. Aligarh, along with the residence proof of it.

6. Spellings of the name of **child** and **parents** filled, should be as per the date of birth certificate of child and Aadhaar card.

7. You can apply under single girl child category only if you have only child who is a girl child with no other siblings. **Single Girl Child Certificate** is required, in prescribed format (Affidavit/Certificate duly signed by First class Judicial Magistrate/SDM/Executive Magistrate(Not below the rank of Tahsildar)

केन्द्रीय विद्यालय अलीगढ़

कक्षा-1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में आवेदन के दौरान पालन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश-

1-कृपया अपने सेवारत विभागों से पंजीकरण से पहले अपनी प्राथमिकता सेवा-श्रेणी की जाँच करें और पुष्टि करें। केवीएस प्रवेश दिशानिर्देश 2023-24 के अनुसार, सिविल (i.e-केन्द्रीय विद्यालय अलीगढ़) / रक्षा क्षेत्र के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित पांच प्राथमिकता सेवा श्रेणियों का वर्णन किया गया है।

प्राथमिकता-श्रेणी -1- स्थानान्तरणीय और गैर-स्थानान्तरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे, जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या सरकार द्वारा निमंत्रण पर भारत में स्थानान्तरित होते हैं।

प्राथमिकता श्रेणी -2- स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/भारत सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान के स्थानान्तरणीय और गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

प्राथमिकता श्रेणी -3- स्थानान्तरणीय और गैर-स्थानान्तरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।

प्राथमिकता श्रेणी -4- स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थान के स्थानान्तरणीय और गैर-स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

प्राथमिकता श्रेणी -5- किसी भी अन्य श्रेणी के बच्चे जो भारत में रहते हैं। विदेशी नागरिकों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में भारतीय नागरिकों के बच्चे नहीं हैं।

नोट -(अ)-स्थानान्तरणीय कर्मचारी वे कर्मचारी माने जाएंगे जिनका 31/3/2023 से पूर्व सात वर्षों में कोई भी स्थानान्तरण हुआ है

नोट -(ब)- यदि आप ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान गलत सेवा श्रेणी दर्ज करते हैं, तो आपका आवेदन अस्वीकृत या निरस्त हो सकता है।

2- ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के संबंध में बच्चे के नाम का ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र बनवा लें।

यह प्रमाणपत्र 31/03/2020 के बाद का बना होना चाहिए।

- 3- बच्चे के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र आवश्यक है यदि लागू हो तो.
4. ईडब्ल्यूएस/बीपीएल प्रमाण पत्र यदि लागू हो, तो 31/09/2022 के बाद का बना होना चाहिए।
5. आरटीई छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान भरा जाने वाला आवासीय पता, आवास प्रमाण पत्र के साथ, के.वी. से पांच किलोमीटर की दूरी के अंदर में होना चाहिए।
6. बच्चे और माता-पिता के नाम की वर्तनी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के अनुसार होनी चाहिए।
7. आप एकल बालिका (इकलौती कन्या) श्रेणी के अंतर्गत, तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपकी इकलौती संतान ही बालिका हो।
एकल बालिका प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, निर्धारित प्रारूप में (शपथ पत्र/ प्रमाण पत्र जो कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट /एसडीएम /कार्यकारी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार के पद से कम नहीं) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो